तारीख हुक्म	फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज बनवारीलाल बनाम लोक सूचना अधि0 (अति0 जिला कलक्टर धौलपुर) (मु0संख्या 29/2023) प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीरीएमएस न0 2023/86)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/11/23	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः प्रथम अपील/आरटीआई/2023/383 दिनांक 17.10.2023 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी को पत्र कमांक/सर्म्पक/सूचना अधि./2023/365 दिनांक 15.09.2023 से आवेदक को सूचित किया गया कि अपीलार्थी का शिकायत पत्र दिनांक 17.06.2016 उनके कार्यालय को प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी को नियमानुसार सूचना दिया जाना संभव नहीं है। जिसके पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन में चाही गई सूचना के सबंध में अपीलार्थी का शिकायत पत्र दिनांक 17.06.2016 उनके कार्यालय को प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी को नियमानुसार सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इस सबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक/सर्म्पक/सूचना अधि./2023/365 दिनांक 15.09.2023 से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। जिसके पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अतः इस प्रकार प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (अनिल कुमार अग्रवाल) जिला कलक्टर	